

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: - याचिका क्रमांक 3 छल्लू. पी. 558/2016 श्री भगवान सिंह गौतम विसह मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।

भा० कृति मंत्री जी का विभाग

पंजी. क्रमांक - 598/2016/ई/चार

द्वारा - भा० उच्च न्यायालय म.प्र.
जबलपुर

— x —

कृपया विचाराधीन याचिका / नोटिस का अवलोकन कीजिए

भा० उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक W.P. 558/2016 संबंधी नोटिस जारी कर प्रकरण में दिनांक 14.03.2016 तक जवाबदावा प्रस्तुत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

- 2/- याचिकाकर्ता श्री भगवान सिंह गौतम द्वारा 'शिथुछु' अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य कर उत्तमानुसार लाभ प्रदान किये जाने संबंधी तथ्य उठाते हुये भा० न्यायालय के समक्ष उक्त याचिका प्रस्तुत की गयी है। याचिका में प्रतिवादियों के रूप में क्रमांक - 1 पर "प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन कृति विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन बोपाल" क्रमांक - 2 पर "संचालक, स्थानीय निधि-संपरीक्षा म.प्र. जवाहरियर" को प्रतिवादी बनाया

ॐ

उब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- याचिका क्रमांक 377/पी. 558/2016 श्री भगवत सिंह गौतम विलक मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य

मा. वित्त मंत्री जी का विभाग


स्पष्ट है:-


गया है, जिससे प्रकरण में शासन का पक्ष स्वयंसे
कराया जाना अनिवार्य है। विषयान्वित याचिका
मा. उच्च न्यायालय जलपुर के समक्ष निगाराहीन
है। अतः प्रकरण में प्रभारी अधिकारी के रूप में
"संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि
संपरीक्षा, जलपुर" को नियुक्त किया जाना
उचित प्रतीत होता है।

ह. अनुमोदनार्थ


02.3.16


'ड' कठगोडगार्य


377/558
3/3


3/3

सचिव

प्रमाणित



(सुपमा शर्मा)
उप सचिव वित्त



(Aniruddha M. Kerkar)
Govt. of Madhya Pradesh
Finance Department

50/11


3/3

4/3


3/3


4/3/16

1/78/5443
4/3/16

464
3/3
4/3

सापेक्ष

(रफ - 1 (सी) / 5 / 2016 / ई. चार)

(3)


छब्योस-२ सचिवालय

विषय:- थानिका क्रमांक 3005. पी. 558/2016 की भगवान सिंह गौतम विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य।


मा. वित्त मंत्री जी का विभाग

रखे रख से:-

रखे रख पर अनुमोदन उपरान्त प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश की शर्त पर प्रतियां लक्ष्मणराय प्रस्तुत।



05.05.16

~~रखे रख~~
~~रखे रख~~
~~50/8~~
~~0~~


5/3
5/3

क्रमांक 608/609
दिनांक 8/3/16 ई. चार

प्रति
P-35-36/C



(रुक - 1 एकी) 5/2016 (डी-गार)

4.

मा.


छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:- याचिका क्रमांक 36 एच.जी. 558/2016 श्री भगवान सिंह गोलम विरुद्ध मह्य प्रदेश शासन एवं अन्य

विन. मंत्री जी का विभाग

रूप हूँ:-


प्रकरण में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेशों संवाहित किये जा चुके हैं प्रकरण के संदर्भ में प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नरन्ती विधि-विभाग को अंकित करना चाहेंगे।


08.03.16

अ.अ.

अवर सचिव

विधि-विभाग


9/3/16

गोपनीय

45331

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक ४/३/2016

क्रमांक एफ-1(सी)/5/2016/ई/चार:- सिविल प्रक्रिया संहिता 1980 (1909) का अधिनियम संख्या क्रमांक (5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 एवं 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रकरण याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी.558/2016 श्री भगवान सिंह गौतम विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने। आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करते हैं, प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी नीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार, उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा. यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट के रूप में निर्दिष्ट की जाएगी.
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा.
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा.
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा.
- (5) उक्त रिपोर्ट सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा.
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज, पत्र भेजेगा :-
- (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार को एक रिपोर्ट.
- (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप.
- (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है.
- (घ) मामले के विशुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये.
- (7) मामले की तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना.
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना.
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा.

-2-

- (10) यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।
- (11) जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
- (12) प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छूपी हुई नहीं रह जाए।
- (13) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा, निर्णय की प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद में प्रक्रम में पारित किये गये किसी भी अंतरित आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है, अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(श्रृंखला संगीने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 8/3/2016

पृष्ठांकन क्रं. एफ-1(सी)/5/2016/ई/चार,

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) एवं प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित/निर्देशित किया जाता है कि शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थित प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपनी प्रत्येक भेट (विजिट) शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने एवं मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जानी चाहिए। वाद पत्र की एक-एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जाए।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 17291/2016

WP/558/2016

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

for adm

Fixed for 14-03-2016

WP-DA-22

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh,
Principal Secretary Finance Vallabh
Bhawan, Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
वित्त विभाग (स्वाधिनता)
रजि. क्रमांक: 598/ई/बार
दिनांक: 2/3/16

Jabalpur 01-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 558/ 2016**


Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Bhagwan Singh Gautam** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/558/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **14-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.



Your faithfully


2-2-16
DEPUTY REGISTRAR